

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

पत्रांक...134...../

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त
-सह-
जिला एस.ई.सी.सी. पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रेषित,

प्रमोद कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ अनिल कुमार झा, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ अभिमन्यु कुमार सिंह, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रिया सॉफ्ट, पैलाड़ प्रखंड/ राहुल कुमार मंडल, बेल्ट्रॉन ऑपरेटर, अंचल पैलाड़/धर्मनाथ साह, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रिया सॉफ्ट, गम्हरिया प्रखंड/ अजित कुमार आजाद, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रिया सॉफ्ट, शंकरपुर प्रखंड/ हुलास चन्द्र, बेल्ट्रॉन ऑपरेटर, अंचल शंकरपुर/ अनिल राम, कार्यपालक सहायक, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा/ विवेक कुमार, बेल्ट्रॉन ऑपरेटर, अंचल कुमारखंड/ अच्युदानंद झा, कम्प्युटर ऑपरेटर, प्रिया सॉफ्ट, उदाकिशुनगंज प्रखंड/ मणिकान्त कुमार, कार्यपालक सहायक, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा/ सतीश चन्द्र सुमन, कार्यपालक सहायक, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा/ गजेन्द्र कुमार, कार्यपालक सहायक, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा/ साहिल राज, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ बंटी कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ ब्रजेश कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ अनोर कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ समरेन्द्र कुमार, कार्यपालक सहायक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक...17.01.2014 ई०।

विषय :- स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस जिले में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के दावा/आपत्ति आवेदनों का इंट्री एवं निष्पादन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है परंतु 07 बजे अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आप अनुपस्थित पाए गए साथ ही आपको 200 इंट्री अथवा 100 डिस्पोजल प्रपत्रों का निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया था परंतु आपके द्वारा इनका भी अनुपालन नहीं किया गया है जो आपके लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है। क्यों नहीं आपके नियोजन को निरस्त कर दिया जाय। अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास पदाधिकारी भी अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया गया।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त

-सह-

जिला एस.ई.सी.सी. पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.134...../दिनांक-17.01.2014 ई.।

प्रतिलिपि :- सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनानार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त

-सह-

जिला एस.ई.सी.सी. पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं ग्रामीण विकास पदाधिकारी का भी सेवा संतोषप्रद नहीं है अपने स्तर से विचार किया जाय।

उप विकास आयुक्त

-सह-

जिला एस.ई.सी.सी. पदाधिकारी,
मधेपुरा।